भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **1743**
दिनांक 29 जुलाई , 2021 / 7 श्रावण 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का पुनर्नामकरण

1743. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का राज्यों के परामर्श से विमानपत्तनों का नामकरण और पुनर्नामकरण करने के संबंध में एक नीति बनाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमानपत्तनों के नामकरण या पुनर्नामकरण की शक्तियां किस प्राधिकरण के पास हैं;
(ग) क्या विमानपत्तनों के नामकरण में राज्य सरकार की सिफारिश जरूरी है और यदि हां, तो सरकार के पास उक्ताशय के कितने प्रस्ताव लंबित हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) इस संबंध में विनियमों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस सिलसिले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) , विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): हवाई अड्डों/टर्मिनल भवनों के नामकरण/पुनःनामकरण के प्रस्तावों पर, राज्य विधान सभा में पारित संकल्प सहित संबंधित राज्य सरकार की संस्तुतियों के आधार पर विचार किया जाता है। इस मामले में अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। हवाई अड्डों/टर्मिनल भवनों के नामकरण/पुनःनामकरण के लिए यह मार्गदर्शक नीति है। विभिन्न राज्य सरकारों से हवाई अड्डों/टर्मिनल भवनों के नामकरण/ पुनःनामकरण के लिए, इस संबंध में पारित संकल्प के साथ तेरह (13) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

*****